

**दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-72 अन्तर्गत प्रखण्ड दिव्यांगजन समूह का
हस्ताक्षर प्रपत्र**

प्रखण्ड स्तरीय बैठक

प्रखण्ड का नाम

क्र० सं०	पंचायत स्तर पर गठित दिव्यांगजन समूह के प्रतिनिधि/लीडर का नाम (दिव्यांग)	पिता का नाम एवं गाँव का नाम	उम्र/योग्यता	मोबाइल नम्बर (अनिवार्य रूप से)	हस्ताक्षर
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					

नोट - दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के अन्तर्गत (ZC, Section-2) में 21 प्रकार के दिव्यांग

पदाधिकारियों/अन्य कर्मचारियों/जनप्रतिनिधियों				
क्र० सं०	पदाधिकारियों/कर्मचारियों/जनप्रतिनिधियों का पदनाम	नाम	मोबाइल नम्बर (अनिवार्य रूप से)	हस्ताक्षर
1.	सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग			
2.	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी			
3.	अंचल पदाधिकारी			
4.	थाना प्रभारी			
5.	प्रखण्ड सांख्यिकी पदाधिकारी			
6.	प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी			
7.	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी			
8.	प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी			
9.	प्रखण्ड मनरेगा पदाधिकारी (PO)			
10.	प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी			
11.	प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी			
12.	प्रखण्ड श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी			
13.	प्रखण्ड अस्पताल प्रभारी (PHC)			
14.	प्रखण्ड संसाधन शिक्षक			
15.	प्रखण्ड जीविका प्रबंधक			
16.	विकास मित्र/पंचायत सचिव			
17.	न्याय मित्र/सचिव			
18.	प्रखण्ड कौर्डिनेटर, आवास			
19.	प्रखण्ड कौर्डिनेटर, राशन कार्ड			
20.	प्रखण्ड प्रमुख			
21.	समाजसेवी			
22.	पत्रकार बन्धु			

क्र० सं०	प्रखण्ड दिव्यांगजन समूह में से चुने गये प्रतिनिधि/लीडर का नाम (दिव्यांग)	दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत	पिता का नाम एवं गाँव का नाम	मोबाइल नम्बर (अनिवार्य रूप से)	हस्ताक्षर
1.					

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/
प्रखण्ड स्तर के नोडल पदाधिकारी
का हस्ताक्षर

सहायक निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण
कोषांग/नोडल पदाधिकारी का हस्ताक्षर